रीडर

14-12-23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
अप्रार्थीगण 1ता17 बावजूद तामील
उक्त दिनांक तक उपस्थित नहीं आया। अतः
अप्रार्थीगण 1ता17 की एकतरफा
की जाती है। पत्रावली में बहस सुनी
जाकर वास्ते आदेश हेतु दिनांक 18-12-24
को पेश होवे।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)

फर्द अहकाम

न्यायालय उपजिला कलेक्टर लालसोट, जिला दौसा

अज अदालत उपजिला कलेक्टर मुकाम लालसोट, जिला दौसा ब्रदीनारायण बनाम जगदीश प्रसाद आदि मु0 नं0 04 सन् 2022

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही	तफ्सील
18.12.2023	पत्रावली वास्त आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री के0 के0 सैनी अधी0 उप0 अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही। बहस प्रार्थना पत्र प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अध्ययन एवं मनन किया गया । प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष के बखूबी साबित है एवं सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष बखूबी साबित है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आराजी ख0 नं0 139 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा ग्राम मिर्जापुरा तहसील लालसोट के संबंध मे अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण उक्त भूमि मे प्रार्थी के कब्जेकाश्त मे दखलन्दाजी नही करे एवं राजस्व रिकार्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे। निर्णय आज दिनांक 18.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावलीा फैसल शुमार हो मूल वाद के साथ संलग्न रहे। (नरेन्द्र मीणा RAS) उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा (राज0)	